संख्या-309/2016/1263/35—4-2016

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 15 सितम्बर,2016

विषयः- जनपदों को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूंजीगत विकास कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रू0 80.00 लाख तथा शहरी क्षेत्रों के लिए रू0 20.00 लाख अर्थात कुलरू0 100.00 लाख प्रति जनपद की दर से 75 जनपदों हेतु कुल मिलाकर रू0 7500.00 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्नक-1 के विवरणानुसार संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर निम्न शर्तों एवंप्रतिबंधों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- यह धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिस मद के लिए स्वीकृत की गयी है। इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

2- योजनान्तर्गत चयनित कार्यों पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का राजकोष से आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

4- प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यों का चयन और कार्यान्वयन शासनादेश संख्या-1191/35-4-2007, दिनांक 26 मार्च, 2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन किया जायेगा और उक्त शासनादेश के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। तद्नुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

7- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी दशा में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन न हो।

2- प्रश्नगत मद पर होने वाला व्यय ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016-17के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य एवं शहरी क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष -4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूंजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा । रू0 1875.00 लाख की धनराशि आदेश संख्या-1212/35-4-2016 दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5-901/दस-2016 दिनांक 14 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

संख्याः 309/2016/1263(1)/35—4-2016- तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
5- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी), अर्थ एवं संख्या, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।
संलग्नक-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्याः 309/2016/1263/35—4-2016, दिनांक 15 सितम्बर, 2016 का

संलग्नक

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखा शीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-03-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था -24वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
1	आगरा	80.00	20.00	100.00
2	मैनपुरी	80.00	20.00	100.00
3	मथुरा	80.00	20.00	100.00
4	फिरोजाबाद	80.00	20.00	100.00
5	अलीगढ़	80.00	20.00	100.00
6	हाथरस	80.00	20.00	100.00
7	एटा	80.00	20.00	100.00
8	कासगंज	80.00	20.00	100.00
9	झांसी	80.00	20.00	100.00
10	ललितपुर	80.00	20.00	100.00
11	जालौन	80.00	20.00	100.00
12	हमीरपुर	80.00	20.00	100.00
13	चित्रकूट	80.00	20.00	100.00
14	बांदा	80.00	20.00	100.00
15	महोबा	80.00	20.00	100.00
16	लखनऊ	80.00	20.00	100.00
17	रायबरेली	80.00	20.00	100.00
18	उन्नाव	80.00	20.00	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखा शीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-03-पूँजीग विकास कार्यों के लिए व्यवस्था - 24वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
19	हरदोई	80.00	20.00	100.00
20	सीतापुर	80.00	20.00	100.00
21	खीरी	80.00	20.00	100.00
22	बरेली	80.00	20.00	100.00
23	पीलीभीत	80.00	20.00	100.00
24	शाहजहाँपुर	80.00	20.00	100.00
25	बदायूँ	80.00	20.00	100.00
26	मेरठ	80.00	20.00	100.00
27	बागपत	80.00	20.00	100.00
28	बुलन्दशहर	80.00	20.00	100.00
29	गौतमबुद्धनगर	80.00	20.00	100.00
30	हापुड	80.00	20.00	100.00
31	गाजियाबाद	80.00	20.00	100.00
32	सहारनपुर	80.00	20.00	100.00
33	मुजफ्फरनगर	80.00	20.00	100.00
34	शामली	80.00	20.00	100.00
35	मुरादाबाद	80.00	20.00	100.00
36	रामपुर	80.00	20.00	100.00
37	सम्भल	80.00	20.00	100.00
38	बिजनौर	80.00	20.00	100.00
39	अमरोहा	80.00	20.00	100.00
40	वाराणसी	80.00	20.00	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखा शीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-03-पूँजीग विकास कार्यों के लिए व्यवस्था -24वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
41	गाजीपुर	80.00	20.00	100.00
42	चन्दौली	80.00	20.00	100.00
43	जौनपुर	80.00	20.00	100.00
44	मिर्जापुर	80.00	20.00	100.00
45	संतरविदास नगर भदोही	80.00	20.00	100.00
46	सोनभद्र	80.00	20.00	100.00
47	गोरखपुर	80.00	20.00	100.00
48	देवरिया	80.00	20.00	100.00
49	महराजगंज	80.00	20.00	100.00
50	कुशीनगर	80.00	20.00	100.00
51	बस्ती	80.00	20.00	100.00
52	संतकबीर नगर	80.00	20.00	100.00
53	सिद्धार्थनगर	80.00	20.00	100.00
54	आजमगढ़	80.00	20.00	100.00
55	मऊ	80.00	20.00	100.00
56	बलिया	80.00	20.00	100.00
57	इलाहाबाद	80.00	20.00	100.00
58	कौशाम्बी	80.00	20.00	100.00
59	प्रतापगढ़	80.00	20.00	100.00
60	फतेहपुर	80.00	20.00	100.00
61	कानपुर नगर	80.00	20.00	100.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	शहरी क्षेत्रों हेतु स्वीकृत धनराशि	जनपद को अवमुक्त धनराशि
	लेखा शीर्षक	4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूँजीगत विकास कार्यों के लिए व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य	4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-800-अन्य व्यय-03-पूँजीग विकास कार्यों के लिए व्यवस्था -24वृहद निर्माण कार्य	
1	2	3	4	5
62	कानपुर देहात	80.00	20.00	100.00
63	इटावा	80.00	20.00	100.00
64	फरूर्खाबाद	80.00	20.00	100.00
65	कन्नौज	80.00	20.00	100.00
66	औरैया	80.00	20.00	100.00
67	फैजाबाद	80.00	20.00	100.00
68	सुल्तानपुर	80.00	20.00	100.00
69	बाराबंकी	80.00	20.00	100.00
70	अम्बेडकर नगर	80.00	20.00	100.00
71	अमेठी	80.00	20.00	100.00
72	गोण्डा	80.00	20.00	100.00
73	श्रावस्ती	80.00	20.00	100.00
74	बलरामपुर	80.00	20.00	100.00
75	बहराइच	80.00	20.00	100.00
	योग	6000.00	1500.00	7500.00
		(रूपये पचहत्तर करोड़ मात्र)		

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।